न्यायामूर्ति सत पाल के समक्ष

छोटे लाल जैन और कंपनी और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

बहादुर चंद,-उत्तरदाता।

1997 का सी. आर. न. 850

19 मार्च, 1998

सिविल प्रक्रिया संहिता, *1908-0.7* नियम *2* - कई अवसरों के बावजूद गवाहों से पूछताछ करने में विफलता पर धारा *35*-बी सी. पी. सी. के तहत वादी के साक्षय को बंद कर दिया जाता है-गुण-दोष के आधार पर मुकदमे को खारिज करना- बहाली के लिए आवेदन विचारणीय नहीं है - हालांकि, कानून के अनुसार मुकदमे को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी जा सकती है।

निर्धारित किया है कि जहां वादी का साक्षय धारा 35-बी सी. पी. सी. के तहत बंद कर दिया गया था और चूंकि वादी को कई अवसर दिए जाने के बावजूद वादी किसी भी गवाह से पूछताछ करने में विफल रहा था, वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया था।चूंकि 21 अक्टूबर, 1995 के आदेश के अनुसार मुकदमे को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था, इसलिए वादी द्वारा 21 अक्टूबर, 1995 को मुकदमे की बहाली के लिए दायर आवेदन स्वयं विचारणीय नहीं था।हालाँकि, याचिकाकर्ता-वादी 21 अक्टूबर, 1995 के उस आदेश को चुनौती देने के लिए स्वतंत्र थे, जिसके द्वारा उनका मुकदमा कानून के प्रावधानों के अनुसार उचित प्रपत्र के समक्ष गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था, लेकिन किसी भी मामले में मुकदमे की बहाली के लिए आवेदन उक्त आदेश के खिलाफ नहीं था।

(पैरा 3)

आर. ए. श्योराण, अधिवक्ता-याचिकाकर्ता की ओर से।

आर. एम. सिंह, अधिवक्ता,-प्रतिवादी के लिए

आदेश

1. वर्तमान मामले में; वादी-याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमे को 21 अक्टूबर, 1995 को खारिज कर दिया गया था।21 अक्टूबर, 1995 को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमे को खारिज करते समय निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

> "वादी का कोई गवाह मौजूद नहीं है।लागत का भुगतान भी नहीं किया गया।इसलिए; वादी का साक्षय धारा 35 बी. सी. पी. सी. के तहत बंद किया जाता है क्योंकि वादी कई अवसरों के बावजूद एक भी गवाह की जांच करने में विफल रहा है, इसलिए वादी का मुकदमा खारिज कर दिया जाता है।फाइल को अभिलेख कक्ष में भेजा जाए।"

उक्त आदेश के विरुद्ध, 21 अक्टूबर, 1995 को एक आवेदन विद्वत निचली अदालत के समक्ष दायर किया गया था और यह प्रार्थना की गई थी कि आदेश दिनांक 21 अक्टूबर, 1995 को रद्द कर दिया जाए और मामले को उसकी मूल क्रमांक में बहाल किया जाए।इस आवेदन को विद्वत निचली अदालत ने 10 अगस्त, 1996 के आदेश के द्वारा खारिज कर दिया था, जिसे वर्तमान याचिका में चुनौती दी गई है।

2. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री श्योराण प्रस्तुत करते हैं कि विद्वत निचली अदालत विवादित आदेश पारित करते समय ठीक से दिमाग लगाने में विफल रही है क्योंकि याचिकाकर्ताओं-वादी द्वारा द आवेदन को आदेश 21 नियम 93 सी. पी.सी. गलत उल्लेख किया गया है। वह आगे प्रस्तुत करते है कि चूंकि न तो वादी और न ही उसका वकील उपस्थित थे जब 21 अक्टूबर; 1995 को वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया था, इसलिए विद्वत निचली अदालत को आदेश 17 नियम 2 सी. पी. सी. के तहत वादी के मुकदमे को बहाल करना चाहिए था।

3. पक्षकारों के लिए अध्ययन किए गए परामर्श को सुनने के बाद बंध ने अभिलेखों का अध्ययन किया, मुझे इस याचिका में कोई योग्यता नहीं मिलती है।21 अक्टूबर, 1995 का आदेश, जिसे इसमें फिर से प्रस्तुत किया गया है, स्वयं दर्शाता है कि उस तारीख को वादी का साक्षय धारा 35 बी सी. पी. सी. के तहत बंद कर दिया गया था और चूंकि वादी को कई अवसर दिए जाने के बावजूद वादी किसी भी गवाह की जांच करने में विफल रहा था, इसलिए वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया था। चूंकि मुकदमा योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया था, - दिनांक 21 अक्टूबर, 1995 के आदेश के तहत, मुकदमे की बहाली के लिए वादी द्वारा 21 अक्टूबर, 1995 को दायर किया गया आवेदन, 21 अक्टूबर, 1995 के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता के साथ, जिसके द्वारा उनके मुकदमे को कानून के प्रावधानों के अनुसार उचित मंच के समक्ष गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था, लेकिन किसी भी मामले में मुकदमे की बहाली के लिए आवेदन उक्त आदेश के खिलाफ नहीं था। तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनजोत कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
गुरूग्राम, हरियाणा